फा.सं. 11026/14/2015-एमएण्डई
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 09.01.2017

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: उर्वरक विभाग की शहरी कम्पोस्ट संवर्द्धन नीति के अंतर्गत कम्पोस्ट विनिर्माता द्वारा थोक में किसानों को शहरी कम्पोस्ट की प्रत्यक्ष बिक्री के दिशा-निर्देश।

इस कार्यालय के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03.06.2016 और 10.10.2016 के अनुसरण में शहरी कम्पोस्ट संवर्धन नीति के कार्यान्वयन के मामले में शहरी कम्पोस्ट की बिक्री पर 1500/- रु./मी.टन की बाजार विकास सहायता (एमडीए) के भुगतान हेतु दावों की प्रस्तुति और प्रक्रिया के लिए इसके साथ निर्धारित कार्यविधि दिशा-निर्देश इस का.ज्ञा. के जारी होने की तारीख से की गई बिक्री पर लागू होंगे।

क. बाजार विकास सहायता के लिए पात्रता

I. उर्वरक नियंत्रण आदेश में विहित मानकों के अनुसार राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर शहरी कम्पोस्ट की बिक्री के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) का भुगतान केवल कम्पोस्ट विनिर्माताओं को संबद्ध नगरपालिका द्वारा और जहां नगरपालिका ही विनिर्माता और विपणनकर्ता है वहां संबद्ध नगरपालिका को किया जाएगा।

II. संबंधित राज्य सरकार द्वारा विपणनकर्ताओं के तौर पर मान्यताप्राप्त सभी शहरी कम्पोस्ट निर्माता स्वयं के शहरी कम्पोस्ट का विपणन एवं एमडीए का दावा करने के लिए पात्र होंगे। मान्यता पत्र संबंधित राज्य विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उनके अधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षरित होना चाहिए। मान्यता पत्र में विशेष तौर पर उल्लेख होना चाहिए कि विपणनकर्ता के रूप में कम्पोस्ट निर्माताओं का शहरी कम्पोस्ट के निर्माण हेतु संबद्ध नगरपालिका के साथ सतत आधार पर दीर्घावधि अनुबंध है। अनुमति पत्र का प्रोफार्मा (अनुबंध-I) पर है।

III. शहरी कम्पोस्ट का विपणन करने के इच्छुक कम्पोस्ट निर्माता कम्पनियों को नगरपालिका के द्वारा एक पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसमें उर्वरक विभाग के अनुबंध-II के अनुसार शहरी कम्पोस्ट का विपणन करने की उनकी इच्छा के साथ निर्माताओं के ब्यौरे और अन्य जानकारी हो।

IV. एमडीए का दावा करने के इच्छुक प्रत्येक कम्पोस्ट निर्माताओं के पास पूर्णत: सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित एवं परीक्षा की जा सके कि निर्माता द्वारा दिए गए शहरी कम्पोस्ट एफसीओ मानक के अनुसार है।

V. डीओएफ कंपनी को आईएफएमएस आईडी देगा ताकि वह तैयार की गई एवं किसानों को बेची गई शहरी कम्पोस्ट की मात्रा, एमआरपी इत्यादि अपलोड कर सकें। बिक्री, एमआरपी इत्यादि से संबंधित डाटा को अपलोड करना अनिवार्य है। कंपनियों को मासिक एमडीए का दावा ऑनलाइन करना अपेक्षित है। जैसा कि पीएण्डके उर्वरकों के लिए किया जा रहा है और दावों को निदेशक (एफए), डीओएफ, उद्योग भवन, नई दिल्ली को एमडीए के भुगतान की प्रक्रिया और व्यवस्था हेतु प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

VI. कम्पोस्ट निर्माताओं को आईएफएमएस में, उन किसानों का फोटो पहचान पत्र जिनको कि शहरी कम्पोस्ट बेचा गया है, अपलोड करना होगा।

VII. शहरी कम्पोस्ट निर्माता को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त उस किसान का फोटो आईडी कार्ड आईएफएमएस के पोर्टल पर अपलोड करना होगा जिसको कि शहरी कम्पोस्ट थोक में बेचा गया है। शहरी कम्पोस्ट निर्माता को आईएफएमएस के पोर्टल पर किसानों के पूर्ण ब्यौरे जैसे नाम, पिता का नाम, किसान का पता आदि भी भरना होगा।

ख. एमआरपी की तर्कसंगतता

I. यद्धपि शहरी कम्पोस्ट का बाजार मूल्य मांग-आपूर्ति संतुलन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, उर्वरक कंपनियों को कैश मैमो पर लागू एमडीए सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट रूप से मुद्रित करना अपेक्षित होगा। एमआरपी से ऊपर की गई कोई बिक्री ईसी अधिनियम के तहत दण्डनीय होगी।

II. उर्वरक विभाग द्वारा दी गई बाजार विकास सहायता के अलावा यदि कोई राज्य शहरी कम्पोस्ट पर राजसहायता उपलब्ध कराता है तो कंपनी द्वारा इसके अनुसार एमआरपी कम की जाएगी तथा इस प्रकार देय राजसहायता का लाभ भी कम एमआरपी के रूप में किसानों को दिया जाएगा।

III. विपणन कंपनियों के रूप में कम्पोस्ट निर्माताओं को भुगतान रसीद पर एमआरपी तथा लागू एमडीए के साथ ही राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा प्रदत्त राजसहायता को मुद्रित करना अपेक्षित है। विपणन कंपनियों को प्रत्येक महीने राजसहायता दावों के साथ एमआरपी का ब्यौरा देने के अतिरिक्त एमएफएमएस में वही एमआरपी अपलोड करना भी अपेक्षित होता है।

IV. उर्वरक विभाग एमआरपी की तर्कसंगतता की जांच करने हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्या बाजार विकास सहायता अथवा राज्य की राजसहायता के रूप में दी जा रही सहायता का लाभ उपभोक्ताओं की मिल पा रहा है। यदि जांच के बाद यह साबित हो जाता है कि ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार सहायता का लाभ नहीं मिल पाया तो इसकी वसूली कर ली जाएगी।

ग. शहरी कम्पोस्ट संवर्द्धन नीति के अंतर्गत बाजार विकास सहायता (एमडीए) का दावा करने के लिए सामान्य भुगतान प्रक्रिया:-

2. 'लेखागत' भुगतान जारी करने की प्रक्रिया

I. शहरी कम्पोस्ट के विपणन कम्पानियों के रूप में कम्पोस्ट निर्माताओं को विहित **प्रपत्र 'बी1-सीसीडी** में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा भलीभांति प्रमाणित किए जाने पर उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई अपेक्षित सूचना के आधार पर किसानों को माह-वार बेची गई शहरी कम्पोस्ट की मात्रा के लिए उर्वरक विभाग से नगरपालिका द्वारा 50% 'लेखागत' राजसहायता भुगतान का दावा करने की अनुमति है।

II. विपणनकर्ता कंपनियों के रूप में कम्पोस्ट निर्माताओं द्वारा प्रपत्र 'बी-1 समर्थनकारी दस्तावेजों सहित सीसीडी की एक प्रति भी संबंधित राज्य सरकार (कृषि निदेशालय) को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती है जिस में एक माह विशेष के दौरान शहरी कम्पोस्ट की बिक्री की गई है ताकि उस माह विशेष के दौरान विपणनकर्ता कंपनी द्वारा की गई शहरी कम्पोस्ट की बिक्री का सत्यापन और प्रमाणन हो सके। प्रपत्र 'बी-1, सीसीडी के साथ लगाए जाने वाले बिक्री बिलों का ब्यौरा एवं अन्य समर्थनकारी दस्तावेज बिक्री के कैलेंडर माह के 30 दिन के अंदर केवल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेजा जाना है।

III. प्रपत्र 'बी-1, सीसीडी के साथ अनुलग्नक के रूप में आईएफएमएस में बिक्री का ब्यौरा दर्ज किया जाना अपेक्षित है।

IV. शहरी कम्पोस्ट विपणन कंपनियों को अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता व सांविधिक लेखा परीक्षक के साथ ही विनिर्माताओं के नमूना हस्ताक्षर, उनके नाम और मुहर के साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिनके साथ उनका विपणन अनुबंध है।

V. राज्य सरकार जिसमें शहरी कम्पोस्ट संयंत्र स्थित हैं, का निरीक्षण करना एवं यह प्रमाणित करना अपेक्षित है कि किसी माह विशेष के दौरान उत्पादित शहरी कम्पोस्ट की गुणता एफसीओ में विहित मानकों के अनुसार थी।

VI. राज्य सरकार निहित प्रपत्र के अनुसार अपनी सरकारी लेखन-सामग्री में ये प्रमाण-पत्र जारी करेगी।

VII. विपणनकर्ता कंपनी के रूप में कम्पोस्ट निर्माता को उस माह विशेष के लिए लेखागत भुगतान के दावे के साथ राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

VIII. राज्य सरकार को अपने द्वारा जारी किए गए गुणता प्रमाण-पत्र (प्रपत्र-बी2-सीसीडी) में नमूनों की संख्या और नमूना संख्या विवरण सहित राजसहायता के लिए पात्र न होने वाली शहरी कम्पोस्ट की अवमानक मात्रा का स्पष्ट ब्यौरा देना अपेक्षित है।

IX. उर्वरक लेखा शाखा द्वारा प्रक्रिया दावे प्रशासनिक अनुमोदन हेतु उस विषय को देख रहे संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे।

X. तत्पश्चात् दावों को आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफडी) की सहमति के लिए भेजा जाएगा।

XI. आईएफडी की सहमति के बाद उर्वरक लेखा शाखा द्वारा 'लेखागत' राजसहायता राशि हेतु स्वीकृति जारी की जाएगी।

XII. तत्पश्चातृ वेतन एवं लेखा अधिकारी पीएफएमएस के जरिए विहित प्रक्रिया के अनुसार राजसहायता का भुगतान जारी करेगा।

XIII. विपणनकर्ता कंपनियों के रूप में कम्पोस्ट निर्माता को शहरी कम्पोस्ट की बिक्री के माह से दो महीने के अंदर 'लेखागत' एमडीए का दावा संबंधित नगरपालिका द्वारा करना अपेक्षित है।

3. राजसहायता का शेष भुगतान जारी करना:

(I) यदि विपणनकर्ता कंपनियों के रूप में कम्पोस्ट विनिर्माता अपने दावे दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करती हैं तो शहरी कम्पोस्ट की बिक्री पर उर्वरक विभाग द्वारा शेष एमडीए का भुगतान एक निश्चित माह के दौरान बेची गई शहरी कम्पोस्ट की मात्रा की गुणता का प्रमाणन करते हुए राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रपत्र-बी2-सीसी के आधार पर विपणनकर्ता कंपनियों को जारी किया जाएगा।

(II) राज्य सरकारों को विपणनकर्ता कंपनी द्वारा एक माह विशेष में बेची गई शहरी कम्पोस्ट की मात्रा का प्रमाणन करना अपेक्षित है।

(III) आंशिक प्रमाणन की अनुमति नहीं है।

(IV) अवमानक पाई गई किसी मात्रा का उल्लेख प्रपत्र प्रपत्र-बी2-सीसीडी में भी किया जाएगा जोकि किसी बाजार विकास सहायता का पात्र नहीं है।

(V) राज्य सरकार द्वारा प्रपत्र-बी2-सीसीडी की प्रस्तुति के आधार पर विपणनकर्ता कंपनी के रूप में कम्पोस्ट विनिर्माता किसी माह के दौरान शहरी कम्पोस्ट की बिक्री पर एमडीए के शेष 50% भुगतान का दावा करने के लिए पात्र होगी।

(VI) उर्वरक लेखा शाखा प्रपत्र-बी1-सीसीडी और प्रपत्र-बी2-सीसी में राज्य सरकार प्रमाणन के अनुसार दावों पर प्रक्रिया करेगा।

(VII) उर्वरक विभाग के पास शहरी कंपोस्ट की उस मात्रा पर ब्याज दंड ब्याज वसूलने का अधिकार है जिस पर एमडीए का भुगतान कर दिया गया है और बाद में राज्य सरकार प्रपत्र-बी2-सीसीडी भाग में यह प्रमाणित कर दे कि उक्त मात्रा अथवा उसका कोई भाग अवमानक है अथवा बेचा नही गया/कम बेचा गया, यह दावा प्रक्रिया के समय प्रचलित दर पर होगा।

(VIII) एमडीए के शेष भुगतान के दावों के लिए संयुक्त सचिव, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक अनुमोदन हेतु उर्वरक लेखा शाखा द्वारा प्रक्रिया चलाई जाएगी।

(IX) तत्पश्चात् दावों को आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफडी) की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

(X) आईएफडी स्वीकृति के बाद, शेष बाजार विकास सहायता राशि के लिए उर्वरक लेखा शाखा द्वारा मंजूरी जारी की जाएगी।

(XI) तत्पश्चात् पीएण्डएओ विहित प्रक्रिया के अनुसार पीएफएमएस के जरिए राजसहायता का भुगतान जारी करेगा।

4. प्रपत्र-बी2-सीसीडी प्रमाण पत्र में देरी अथवा अप्राप्ति के संबंध में उर्वरक लेखा शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

(I) उर्वरक लेखा शाखा प्रपत्र-बी1-सीसीडी और प्रपत्र-बी2-सीसीडी की राज्य-वार प्राप्ति की निगरानी करेगी और राज्य सरकारों द्वारा प्रपत्र 'बी-2 सीसीडी' प्रस्तुति की देरी की स्थिति में उर्वरक विभाग/उर्वरक लेखा शाखा राज्य सरकार के साथ मामले को उठाएगी कि वह प्रपत्र-बी2-सीसीडी शीघ्र प्रस्तुत करे ताकि विपणनकर्ता कंपनी के रूप में कम्पोस्ट निर्माता को जारी किए गए 'लेखागत' एमडीए भुगतान का निपटान सम्बंधित नगर पालिका के माध्यम से किया जा सके और एमडीए का शेष भुगतान भी जारी किया जा सके। विपणन कंपनी के रूप में शहरी कंपोस्ट निर्माता को भी राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाना चाहिए कि वे प्रपत्र-बी2-सीसीडी शीघ्र प्रस्तुत करें।

(II) यदि राज्य सरकार से प्रपत्र प्रपत्र-बी2-सीसीडी की प्राप्ति में 180 दिन से अधिक की देरी होती है तो प्रपत्र-बी2-सीसीडी को प्राप्त हुआ माना जाएगा।

(III) राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे प्रपत्र प्रपत्र-बी2-सीसीडी पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के प्रमाणित हस्ताक्षर उर्वरक लेखा शाखा को भेजें। यदि किसी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित हस्ताक्षर उर्वरक विभाग को भेजे जाने चाहिए।

(IV) प्रपत्र-बी-सीसीडी और प्रपत्र-बी2-सीसीडी प्रमाण-पत्र जारी करते समय नगरपालिका/राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि:

(क) बिक्रियों को प्रमाणित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम दर्शाने वाली रबड़ मोहर और कार्यालय मोहर लगाना;

(ख) प्रपत्र-बी-सीसीडी और प्रपत्र-बी2-सीसीडी पर हस्ताक्षर करने के स्थान और तारीख की सूचना;

(ग) यह कि प्रपत्र प्रपत्र-बी1-सीसीडी में प्रमाणित मात्रा अंतिम मात्रा है क्योंकि उक्त माह में आंशिक प्रमाणन को स्वीकार नहीं किया जाएगा;

(घ) यह कि संलग्न प्रपत्र-बी-सीसीडी और प्रपत्र-बी2-सीसीडी में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जाए; और

(ड.) प्रपत्र-बी-सीसीडी और प्रपत्र-बी2-सीसीडी को बिना किसी काटा-पीटी अथवा सुधार के जारी किया गया है।

5. कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/सांविधिक लेखा परीक्षक के नमूना हस्ताक्षर:

(I) विहित प्रपत्र में बाजार विकास सहायता के सभी दावों (लेखागत अथवा शेष भुगतान) पर कंपनी के मुख्य कार्यपालक अथवा उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(II) दावों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को न्यूनतम महा प्रबंधक के रैंक अथवा वित्त विभाग मुखिया अथवा कंपनी में समकक्ष का पद धारक होना चाहिए।

(III) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित हस्ताक्षर उर्वरक लेखा शाखा, उर्वरक विभाग को शुरू में ही कोई भुगतान जारी होने के तुरंत पहले और प्रत्येक वित्त वर्ष के आरम्भ में भी भेजे जाने चाहिए।

(IV) प्रत्येक कंपनी के लिए अधिकतम दो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए।

(V) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के तीन नमूना हस्ताक्षरों की दो प्रति कंपनी के मुख्य कार्यपालक द्वारा भली-भांति हस्ताक्षर करके कार्यालय की मोहर लगाकर उर्वरक लेखा शाखा, उर्वरक विभाग को भेजी जानी चाहिए।

(VI) इसी प्रकार विपणनकर्ता कंपनी के रूप में कम्पोस्ट निर्माता द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के नाम और मोहर के साथ नमूना हस्ताक्षर भी उर्वरक विभाग को प्रस्तुत करने चाहिए।

6. सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों के जरिए भुगतान

उर्वरक विभाग द्वारा विपणन कम्पनियों के रूप में कम्पोस्ट निर्माता को नगर पालिकाओं के माध्यम से (नगर पालिका केवल जहां पर नगर पालिका स्वयं कम्पोस्ट विनिर्माता है) भुगतान किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जरिए क्रेडिट से किया जाएगा जिसके लिए सभी नगरपालिकाओं और संबंधित कम्पोस्ट निर्माताओं (या केवल नगरपालिका जहां नगरपालिका ही कम्पोस्ट निर्माता है) को उस बैंक में संयुक्त खाता (एकल खाता) खुलवाना अपेक्षित है। बाजार विकास सहायता के दावे के उद्देश्य से नगरपालिका और संबंधित कम्पोस्ट निर्माता (या केवल नगरपालिका जहां नगरपालिका ही कम्पोस्ट निर्माता है) को पीएफएमएस प्रणाली में पंजीकृत कराना अपेक्षित है।

7. अन्य

(i) शहरी कम्पोस्ट योजना के संबंध में दावों के अलावा अन्य सभी संदर्भों को मुहरबंद लिफाफों में संयुक्त सचिव, एमएण्डई प्रभाग, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाना चाहिए।

(ii) उर्वरक विभाग, योजना के निर्बाध और कुशल कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर विपणन कंपनियों से कोई भी अतिरिक्त सूचना जिसे वह आवश्यक समझे मांग सकता है।

(iii) उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(iv) इन दिशा-निर्देशों को उर्वरक विभाग की वेबसाइट http://fert.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है।

(डी.पी. श्रीवास्तव)
निदेशक, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23389839

सेवा में

i. सचिव, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
ii. सभी राज्यों/संघ राज्यों के मुख्य सचिव।
iii. संयुक्त सचिव (पीएचई), संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
iv. निदेशक (एफए), उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
v. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के निदेशक (कृषि)।
vi. सभी उर्वरक कंपनियों के सीएमडी/एमडी।
vii. महानिदेशक, एफएआई, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली।
viii. अध्यक्ष, अपशिष्ट प्रबंधन एसोशिएशन, चौथा तल, गोपाल दास भवन, 28 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली।
ix. उर्वरक विभाग के सभी अधिकारी
x. निदेशक (एनआईसी) बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए

अनुलग्नक-I

सेवा में

संयुक्त सचिव
एमएण्डई प्रभाग
उर्वरक विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

यह प्रमाणित किया जाता है कि (पता, पंजीकरण सं. आदि के साथ-साथ कंपनी का नाम) (संयंत्र के स्थल का पता) में विनिर्माण संयंत्र के साथ एक कंपोस्ट उत्पादक है और शहरी कंपोस्ट के विनिर्माण हेतु (नगर पालिका का पता सहित नाम और पता) के साथ अनुबंध किया है तथा वह सतत आधार पर शहरी कंपोस्ट का उत्पादन करने में सक्षम है।

राज्य के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
के हस्ताक्षर (नाम, पदनाम मुहर सहित)

अनुलग्नक-।।

शहरी कंपोस्ट विनिर्माता/नगरपालिका का विवरण

i. शहरी कंपोस्ट विनिर्माता कंपनी का नाम

ii. शहरी कंपोस्ट संयंत्र का पता

iii. विनिर्माता के पंजीकृत कार्यालय का पता

iv. विनिर्माता का टिन संख्या

v. विनिर्माता का पैन संख्या

vi. उस नगर निकाय का नाम और पता जिसके साथ विनिर्माता को अनुबंध करना है

vii. नगर निकाय और विनिर्माता के बीच संविदा की अवधि

viii. एमएसडब्ल्यू का प्रति दिन आदान

ix. संस्थापित क्षमता (वार्षिक मी. टन में)

x. शहरी कंपोस्ट का ब्रांड नाम

xi. संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल

xii. ईडी बैंक खाते का विवरण जैसे लेखा संख्या, आईएफएससी कोड खाता धारक का नाम (खाता कंपनी और नगरपालिका अथवा नगर पालिका के नाम पर होना चाहिए, जैसा भी मामला हो), बैंक का पता।

दिनांक:

स्थान:

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम मुहर सहित)

मात्रा प्रमाण पत्र/लेखागत दावा

प्रपत्र 'बी1-सीसीडी'

शहरी कम्पोस्ट के संवर्धन नीति के अंतर्गत विपणन कंपनियों द्वारा बाजार विकास सहायता के 'लेखागत' भुगतान का दावा करने के लिए।

अधिसूचना सं.....दिनांक..... के अंतर्गत दावा
बिल संख्या .....दिनांक.....

सेवा में, दिनांक .....

निदेशक (एफए), उर्वरक विभाग कमरा सं.473, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

महोदय/महोदया,

हम बाजार विकास सहायता के ''लेखागत'' भुगतान का दावा एतद द्वारा निम्नलिखित विवरणों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं:-

1. विक्रेता के रूप में विनिर्माता का नाम और पता:
2. शहरी कंपोस्ट का ब्रांड
3. किस महीने का दावा है
4. दावे का विवरण

दावा सं.	प्रति मी.टन एमआरपी (स्थानीय करों को छोड़कर) (रुपये में)	उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसमें शहरी कम्पोस्ट की बिक्री की गई है	अनुलग्नक के अनुसार भुगतान के लिए पात्र निवल मात्रा (मी.टन में)	प्रति मी.टन दर	भुगतान योग्य बाजार विकास सहायता (रुपये में)	भुगतान योग्य लेखागत राशि के अनुसार कुल बाजार विकास सहायता का 50%
1	2	3	4	5	6	7

5. दावा की जा रही बाजार विकास सहायता के ''लेखागत'' भुगतान की कुल रकम को निकटतम रुपये.....(राशि शब्दों में) में पूर्ण कर दिया गया है।

6. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सारणी के कॉलम सं.4 में दर्शायी गई निवल मात्रा जिस पर बाजार विकास सहायता का दावा निवल भार के आधार पर संलग्न अनुलग्नक के अनुसार थोक में कृषि उपयोग हेतु किसानों को विशेष रूप से उसकी आपूर्ति हेतु किया जा रहा है। यह प्रमाणित किया जाता है कि एमआरपी और बाजार विकास सहायता की राशि और राज्य राजसहायता, यदि कोई हो और बेचे गए उर्वरक की गुणता एफसीओ विनिर्देशों के अनुरूप है।

7. यह प्रमाणित किया जाता है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के दिनांक 10.02.2016 के का.ज्ञा. में वर्णित सभी शर्तों और शहरी कम्पोस्ट संबंधी मार्गदर्शिकाओं का समुचित पालन किया गया है।

8. यह प्रमाणित किया जाता है कि शहरी कम्पोस्ट के ऊपर लिखित मात्रा को थोक में किसानों को बेचा गया है।

रुपये.....की राशि प्राप्त की

दिनांक:
स्थान:

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम मुहर सहित)
(संबंधित नगर पालिका द्वारा दावे का सत्यापन)

कृपया बाजार विकास सहायता की राशि का भुगतान.....(बैंक का नाम और पता).....के खाता सं. में क्रेडिट करते हुए करें।
<विपणन कंपनियों के रूप में शहरी विनिर्माता के नाम> के लिए

दिनांक:
स्थान:

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम मुहर सहित)

(संबंधित नगरपालिका द्वारा दावे का सत्यापन)

(लेखा परीक्षक के पत्र शीर्ष पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट)

माह .....के दौरान किसानों को थोक में शहरी कम्पोस्ट की मात्रा की बिक्री संलग्न अनुलग्नक के अनुसार की गई है।

2. (विपणन कंपनियों के रूप में कंपोस्ट विनिर्माता का नाम) द्वारा बेची गई शहरी कम्पोस्ट जिसे नीचे दर्शाया गया है को बिक्री बीजकों, बिक्री रजिस्टर, डिलिवरी चालान, रेल प्रेषण के लिए रेलवे रसीद (आरआर)/सड़क प्रेषण के लिए लारी रसीदों, भण्डार अंतरण नहीं (एसटीएन) और (अन्य कोई रिकार्ड जिसे कंपनी द्वारा रखा जा रहा है का उल्लेख करें) की सम्यक जांच के पश्चात् एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

क्र.सं.	बाजार विकास सहायता दावा सं. और तारीख	राज्य	मात्रा मी.टन में	अभ्युक्ति, यदि कोई हो।

3. रेल शीर्ष से पंजीकृत वेयर हाउस/बफर गोदाम डीलर के भण्डार स्थल पर भेजी गई मात्रा को एसटीएन/वेयर हाउस स्टॉक रिपोर्ट से सत्यापित किया जाता है। किसानों को सीधे ही प्रेषित की गई मात्रा चाहे वह बिक्री के रूप में हो अथवा संयंत्र से प्रेषित हो या रेक बिंदु स्थल से प्रेषित की गई को डिलिवरी आदेशों/बीजकों/एसटीएन से सत्यापित किया जाता है।

4. वह मात्रा जिसे इस विपणन कंपनी के रूप में इस कंपोस्ट विनिर्माता द्वारा बेचने का दावा किया गया है उसका सत्यापन भी आरजी-1 रजिस्टर/उत्पादन को दर्शाने वाले उत्पादन रिकॉर्ड, लेखा बहियों, भण्डार रजिस्टरों और कंपनी द्वारा रखे गये अन्य संगत आलेखों द्वारा किया गया है।

दिनांक:
स्थान:

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम, पदनाम मुहर सहित)

<u>अनुलग्नक</u>

माह/वर्ष

कंपनी का नाम:

राज्य का नाम:

(मात्रा मी.टन में)

जिला	बेची गई मात्रा (*)	जिसको बेची गई मात्रा (**)	पिछले महीने की मात्रा जिसे वापस किया गया था (भुगतान के लिए पात्र नहीं)	पात्र निवल मात्रा	अभ्युक्ति, यदि कोई हो।
1	2	3	4	5	6(3-4)

(*एमएसडब्ल्यू पर आधारित विनिर्मित शहरी कम्पोस्ट की बेची गई मात्रा)

(**आईएफएमएस पर डाले गए विवरण के अनुसार किसानों का नाम, आईडी कार्ड की संख्या

दिनांक:

स्थान:

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर

(नाम, सदस्य सं. मुहर सहित)

दिनांक:

स्थान:

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम, पदनाम और दिनांक तथा स्थान सहित मुहर के साथ)

<u>प्रोफार्मा बी2-सीसीडी</u>

(शहरी कम्पोस्ट के लिए गुणता प्रमाण-पत्र)

(प्रोफार्मा बी1-सीसीडी एवं सी की प्राप्ति के 180 दिनों के भीतर राज्य/संघराज्य क्षेत्र द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत करना)

..... सरकार

कृषि आयुक्तालय ..... (राज्य)

दिनांक

सं.

संदर्भ सं. दिनांक

<u>गुणता प्रमाण-पत्र</u>

संयुक्त सचिव (एमएण्डई)
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

(ध्यानार्थ: निदेशक (एफए), उर्वरक विभाग, कमरा सं. 473, एफ-विंग, उद्योग भवन, नई दिल्ली)

1. राज्य/संघराज्य क्षेत्र का नाम: .....
2. विपणन कंपनी के रूप में कम्पोस्ट विनिर्माता का नाम पते के साथ .....
3. निरीक्षण की तारीख .....
4. निरीक्षण प्राधिकारी (नाम स्पष्ट अक्षरों में एवं पदनाम) .....
5. उत्पाद का नाम .....
6. ब्रांड का नाम .....
7. माह/वर्ष .....
8. निरीक्षित बैच/लॉट सं. .....
9. मात्रात्मक परीक्षण, यदि कोई असफल हो तो .....
10. किस जगह नमूना लिया गया .....

(अर्थात् इकाई परिसर/कंपनी का वेयर हाउस या गोदाम/डीलर अथवा खुदरा विक्रेता परिसर)

11. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित निरीक्षण प्राधिकारी ने ऊपर उल्लिखित तारीख को उक्त शहरी कम्पोस्ट इकाई का निरीक्षण किया और यह पाया कि शहरी कंपोस्ट के जांच नमूनों के लिए एफसीओ के अनुसार उक्त शहरी कम्पोस्ट इकाई में एक सुसज्जित प्रयोगशाला कार्य कर रही है।
12. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि लिए गए नमूने का परीक्षण एफसीओ के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की प्रयोगशाला अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित प्रयोगशाला में किया गया है और परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार विनिर्मित शहरी कम्पोस्ट के नमूने शहरी कम्पोस्ट के लिए एफसीओ की अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुणता के अनुसार पाए गए है।

13. यह प्रमाणित किया जाता है कि लिए गए एवं परीक्षण किए गए ..... नमूनों में से ..... नमूने असफल रहे और प्रत्येक असफल नमूने के लिए ..... मी.टन उर्वरक कोटि, कुल ..... मी.टन, बाजार विकास सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

14. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक नकदी रसीद पर (क) गुणता प्रमाणित (ख) बैच सं. ..... से (ग) अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और (घ) भारत सरकार द्वारा दी जा रही बाजार विकास सहायता की स्टांप लगा दी गई है।

कृषि निदेशक
(नाम एवं मुहर के साथ)

स्थान:
दिनांक

प्रति
दावेदार का नाम

कृपया नोट करें कि गुणता प्रमाणपत्र (प्रोफार्मा बी-2सीसीडी) 180 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए जैसा कि उर्वरक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. ..... दिनांक..... में निर्धारित है।

<u>प्रोफार्मा 'घ'</u>

<u>शहरी कम्पोस्ट के संदर्भ में बाजार विकास सहायता (50 प्रतिशत) की शेष अदायगी के दावे हेतु</u>

बिल सं. ..... दिनांक ..... (लेखागत भुगतान की बिल संख्या) के जरिए प्राप्त बाजार विकास सहायता की लेखागत अदायगी के लिए ..... महीने के दौरान शहरी कम्पोस्ट पर बाजार विकास सहायता की शेष अदायगी के दावे के लिए।

बिल सं..... दिनांक .....

सेवा में,

निदेशक, एफए विंग, कमरा सं. 473, ई-विंग, उद्योग भवन, नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

हम बकाया बाजार विकास सहायता की अदायगी के लिए निम्नलिखित दावा प्रस्तुत करते हैं:

1. विनिर्माता कंपनी का नाम एवं पता:
2. विपणन कंपनी का नाम एवं पता:
3. जिस महीने में उत्पाद (उत्पादों) को बेचा गया उसके लिए दावा .....
4. दावे का ब्यौरा:

(मात्रा मी.टन में)

राज्य	लेखागत दावा के अनुसार मात्रा (मात्रा मी.टन में)	अवमानक/कम आपूर्ति (मात्रा मी.टन में)	बेची गई मात्रा एवं अदायगी के लिए पात्र (मात्रा मी.टन में)	लागू बाजार विकास सहायता दर ** (रुपये में)	देय कुल राशि (रुपये में)	पहले ही प्राप्त कुल बाजार विकास सहायता का लेखागत .....% (रुपये में)	देय बकाया (%) (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)x(5)	(7)	(8)=(6)-(7)
	कुल						

5. दावा की गई एनबीएस की बकाया भुगतान की कुल राशि ..... (राशि शब्दों में) को निकटतम रुपयों में लिखा जा रहा है।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर कालम 4 में दर्शाई गई मात्रा उर्वरक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बेची गई है। उक्त सूचना संगत महीने की बिक्री पर आधारित है और इन्हें बिक्री ऑडर्स, सुपुर्दगी चालनों और बिक्री बीजक/बिक्री बिलों से सत्यापित किया गया है।

7. कंपनी वचन देती है कि प्रोफार्मा ''बी1-सीसीडी'' के अनुसार यदि संबंधित राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकार (सरकारों) द्वारा मात्रा कम प्रमाणित की जाती है अथवा उर्वरक अवमानक पाए जाते है तो कंपनी इस विभाग को दंडात्मक ब्याज के साथ राशि की वापस अदायगी के लिए जिम्मेदार होगी।

8. यह प्रमाणित किया जाता है कि उर्वरक विभाग के दिनांक ..... के पत्र सं. ..... और दिनांक ..... के दिशा-निर्देशों में विहित सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं।

..... रुपये की राशि प्राप्त हुई।

स्थान: **कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर**
दिनांक: **(मुहर के साथ नाम, सदस्यता सं.)**

स्थान: **कंपनी के नाम मुहर सहित**
दिनांक: **कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर के एवं नाम/पदनाम**

कृपया ..... रुपये की बाजार विकास सहायता खाता सं. ..... (बैंक का नाम, शाखा एवं पता बताएं) में अदा करें।

स्थान: **कंपनी के नाम सहित**
दिनांक: **कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर एवं नाम/पदनाम**

(संबंधित नगर पालिका द्वारा दावे का सत्यापन)